

छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, पुराना नर्सिंग हॉस्टल,
रायपुर, छत्तीसगढ़



कमांक/रजि० नर्सिंग का०/प्रोजे./2021/1164

रायपुर, दिनांक 22/02/2021

// आदेश //


छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल (परिषद्) की बैठक में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश प्रकरण कं. डब्ल्यू.पी.सी. 133, 292, ऑफ 2021 हेतु छ.ग. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग में पारित अंतरिम आदेश में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु अंतरिम रूप से अनुमति प्रदान की गयी है। अतः उक्त आदेशों के परिपालन में परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय एवं अनुमोदन उपरांत जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ (जी.एन.एम.) पाठ्यक्रम में सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु अनुमति अंतरिम रूप से होगी, यह अनुमति उपरोक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी। अतः निम्नलिखित संस्थाओं को सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ (जी.एन.एम.) पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षण सुविधायें, प्रशिक्षण ब्लॉक/छात्रावास एवं स्टॉफ व्यवस्था सुनिश्चित रखनी होगी।
2. संस्था का वार्षिक निरीक्षण छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा प्रतिवर्ष तथा औचक निरीक्षण आवश्यकतानुसार किया जावेगा तथा मापदंड अनुसार संस्था संचालित नहीं पाये जाने की स्थिति में मान्यता निरस्त की जा सकती है एवं नियमानुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।
3. संस्था द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम एवं भारतीय उपचर्या परिषद् के नियमों/मापदंडों का पालन किया जावेगा।
4. केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश/पठन-पाठन, फीस निर्धारण इत्यादि के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों का संस्था द्वारा पालन किया जावेगा।
5. यह अनुमति केवल सत्र 2020-21 के लिए वैध होगी।

अनुमति प्राप्त संस्थाओं की सूची

पाठ्यक्रम का नाम :- जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ (जी.एन.एम.)

कं.	नर्सिंग स्कूल/प्रशिक्षण संस्था का नाम एवं पता	जी.एन.एम. सीट संख्या सत्र 2020-21 हेतु
1	आसरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ग्राम जरहाडीह, तहसील लुंझा, रघुनाथपुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	30
2	रविशंकर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, मुक्तांगन के पास, चम्पारण रोड, नया रायपुर (छ.ग.)	20
3	के.बी. पटेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नागपुर रोड, चिरमिरी, जिला-कोरिया (छ.ग.)	40
4	सूर्या नर्सिंग कॉलेज, गीदम रोड, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)	30


रजिस्ट्रार

छ.ग.नर्सिंग रजि.काउन्सिल
रायपुर (छ.ग.)


कमश :

कमांक/रजि० नर्सिंग कां०/प्रोजे./2021/1165-1170

रायपुर, दिनांक 22/02/2021

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ
2. अध्यक्ष, छ.ग. नर्सिंग रजि. काउन्सिल पुराना नर्सिंग हॉस्टल, डी.के.एस. परिसर रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा पुराना नर्सिंग हॉस्टल, डी.के.एस. परिसर रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त संबंधित संस्थाओं को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. कार्यालय प्रति।



रजिस्ट्रार

छ.ग.नर्सिंग रजि.काउन्सिल
रायपुर (छ.ग.)